National Journal of Multidisciplinary ResearchAnd Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 03-09-2023, Accepted: 19-09-2023, Published: 04-10-2023
Volume 8, Issue 2, 2023, Page No. 142-145

उच्च शिक्षा के विकास में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति –२०२० की भूमिका

सुरेखा लक्कस
सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, एम.जी.एम.विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत

सारांश
शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। शिक्षा एक बुनियादी मानवाधिकार है जो पुरुषों और महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालने, असमानताओं को दूर करने और सतत विकास सुनिश्चित करने का काम करती है। पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समतापूर्ण और निष्पक्ष समाज विकसित करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में भारत की निरंतर उन्नति और वैश्विक मंच पर नेतृत्व की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यक्ति, समाज, देश और दुनिया की भलाई के लिए हमारे देश की समृद्ध प्रतिभाओं और संसाधनों को विकसित करने और अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगले दशक में भारत में युवाओं की आबादी दुनिया में सबसे अधिक होगी और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसर प्रदान करने की हमारी क्षमता हमारे देश का भविष्य निर्धारित करेगी। इसलिए सतत विकास के लिए, हमें शिक्षा प्रणाली में नीचे से लेकर शीर्ष तक सुधार की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में एनईपी द्वारा कई सुधार और नए विकास पेश किए गए हैं। यह लेख उच्च शिक्षा के विकास में नई एनईपी–2020 की भूमिका की रूपरेखा पर केंद्रित है।

मूल शब्दः शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विकास, उच्च शिक्षा

"शिक्षा करेगी नव युग का निर्माण,
आने वाला समय देगा इसका प्रमाण।''

सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के उपर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। Aithal P. 5. & Aithal S.J. ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देने के साथ एन ई पी 1986 के बीच तुलना की गई है। 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी कमियाँ थीं जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी। जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेता है। इस नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को ३४ वर्षो के बाद लाया गया है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इस नई शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नए–नए चीजों को सीखने के प्रति रुचि जगाना है। ताकि छात्र जीवन में अपनी योग्यताओं के बलबूते एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित में प्रोत्साहन नीति का लक्ष्य है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित के क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे नवाचारिक और तकनीकी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 पैटर्न में तैयार किया पहले यह 10+2 के अनुसार था। इस पैटर्न के अनुसार प्रथम 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज के रूप में रखा गया है, जिसका उद्देश्य के बेहतरीन भविष्य के लिए मजबूत नींव को तैयार करना है। जिसके दौरान बच्चे अपने मनपसंद विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर पाए। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के माध्यम से न केवल बालकों के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा बल्कि बच्चों के शिक्षण के तरीके में भी सुधार है।

भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा वर्ष 1830 में लाई गई थी। जिसमें शिक्षा के लिए इंग्लिश भाषा को प्रधानता दी गई। लॉर्ड थॉमस मैकाले ने ही भारत भारत की शिक्षा नीतियों में बहुत से मुख्य बदलाव किए थे इसलिए उन्हें ही आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता हैं नवीन शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा अपनाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। इसमें तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, कोडिंग और अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए नए प्रस्ताव शामिल हैं।

इस नीति के माध्यम से रोजगार के अवसरों में भी सुधार किया जा रहा है। यह नीति शिक्षार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से नौकरी के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसरों में मदद की जाएगी।

''नवीन शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा के उत्कृष्टीकरण की दिशा में एक प्रयास''

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नवीन शिक्षा नीति २०२० एक महत्वपूर्ण प्रयास है भारतीय शिक्षा को मौलिक रूप से उत्कृष्ट करने का। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर उच्चतम गुणवत्ता की दिशा में अग्रसर होना है, साथ ही छात्रों को विभिन्न कौशलों और नौकरी के अवसरों के लिए तैयार करना यह मुख्य उद्देश्य है। नीति के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रस्तावनाएं और सुधार किए गए हैं, जिनमें स्कूलों की अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में पढ़ाई के प्रतिशत को बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, और शिक्षार्थियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल प्रदान करने का प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र के डिजिटलीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। नवीन शिक्षा नीति २०२० ने योग्यता और कौशल में सुधार के लिए भी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा है। इस नीति का पालन करते हुए, भारतीय शिक्षा का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और यह देश की सामर्थ्य और उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। नई शिक्षा नीति से न केवल स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में बदलावएंगे बल्कि संस्थाओं का अपनी पद्धतिसे फीस लेने का काम भी बंद हो जाएगा। स्कूल कॉलेज में अन्य विषयों के अतिरिक्त संस्कृत के पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्था नों में भी आट्र्स और हयूमनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे विज्ञान के बालक भी अन्य क्षेत्रों में अपनी यो ग्यता से कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के कारण बच्चे व्यवहारिक ज्ञान लेकर देश के वि कास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। नई शिक्षा नीति २०२० भारत के शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिचय करती है और उसे नवाचारी और सुसंगत बनाने का प्रयास करती है। यह नीति 2020 में लागू हो गई है और कुछ मुख्य बिंदुओं को शामिल करती हे:

1. ५+३+३+४ पैटर्न इस नीति के अनुसार, बच्चों की शिक्षा को 5 साल की आयु से शुरू करके 3–3–3–4 के पैटर्न में बदला जाएगा, जिसमें प्री–स्कूल, और नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा शामिल है। 2. बोर्ड परीक्षा का बदलाव: नई नीति में बोर्ड परीक्षाओं को सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रयास किया गया है।
2. बहुभाषीय शिक्षाः नई नीति में बहुभाषीय शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव है, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ सकें।
3. विद्या आर्थिक और सामाजिक समावेशनः नीति में लिंग और सामाजिक समावेशन को प्रमोट करने
4. के लिए उपायों का प्रस्ताव है, ताकि सभी छात्र इसका उचित लाभ उठा सकें।
5. अनुसंधान और नई तकनीकियाँ शिक्षा में नई तकनीकियों का उपयोग करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

नई शिक्षा नीति २०२० भारत के शिक्षा प्रणाली को मौलिक बदलाव देने का प्रयास कर रही है इस शिक्षानीति के कारण बच्चे अपने मनपसंद के अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई साइंस फैकल्टीका विद्यार्थी है और वह आर्ट फैकल्टी के किसी विषय को पढ़ने की रुचि रखता है तो वह उसे भी पढ़ सकता है। इन सबके अतिरिक्त नौवीं से 12वीं तक की परीक्षा सेमेस्टर पद्धतिसे ली जाएगी, जिसके अनुसार साल में दो बार परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के मार्कस को जोड़कर अंतिम अंकतालिका (रिजल्ट) दिया जाएगा। इस कारण छात्रों को पुरे वर्ष पढाई करनी पड़ेगी क्योकी पहले छत्र परीक्षा के पहले रट्टा मरते थे और पास हो जाते थे। अब छात्रों को समझकर पढाई करनी होगी इसके साथ ही यह बच्चे को किसी भी विशेष विषय में रुचि है और वह उसका व्यवहारिक ज्ञान लेना चाहता है तो वह इंटर्नशिप भी प्राप्त कर पाएगा। अपने इंटर्नशिप कार्य को यह स्कूल के दौरान ही कर सकता है। अब बोर्ड की परीक्षाओं के तरी के भी काफी बदल जाएंगे। बोर्ड का परीक्षा बच्चों के लिए बोझ नहीं रहेगा, बच्चे अपने मन–पसंद भाषा में बोर्ड का परीक्षा दे पाएगे। अब जो मार्कशीट तैयार होगा, उसमें ना केवल बच्चों के विषय के मार्कस बल्कि उस के व्यवहार, मानसिक क्षमता और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि अब बच्चों को केवल पढ़ाई के प्रति ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में रुचि लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सरकार द्वारा लाई गईसनई शिक्षा नीति न केवल स्कूली बच्चों के लिए है बल्कि यह कॉलेज के छात्रों के लिए भी लागू होता है। क्योंकि अब कॉलेज के पाठ्यक्रम भी पहले की तुलना में काफी बदल जाएंगे। स्कूली बच्चों की तरह अब कॉलेज के बच्चे भी अपने मनपसंद के अनुसार विषय का चयन कर पाएंगे। जो बच्चे 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं, वे कॉमन एप्टिट्यूड परीक्षादे सकते हैं और फिर इस टेस्ट में जो मार्कस लाया जाएगा, उससे उनके बारहवीं कक्षा के मार्कस के साथ जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फिर इस अनुसार वे अपने मनपसंद और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। यही नहीं अब ग्रेजुएशन कोर्स को 3 और 4 साल में बांट दिया गया है। पहले ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए पूरे 3 साल या 4 साल के कोर्स को कंप्लीट करना पड़ता था, बीच में यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा छोड़ देता था तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। ले किन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो बालक अपने ग्रेजुएशन कार्यप्रणाली के दौरान यदि 1 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं यदि वे 2 साल के बाद कार्यप्रणाली को छोड़ते हैं तो उन्हें डिप्लोमा सर्टि फिकेट दिया जाएगा, वहीं यदि 3 साल के कोर्स को पूरा करने के बाद छोड़ते हैं तो उन्हें बैचलर की डिग्री दी जाएगी। यदि कोई बालक ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल में करता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री दी जाती। है। इससे उन बालकों के लिए फायदा होगा, जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस तरी के से अब ग्रेजुएशन के दौरानबच्चे किसी परिस्थितियों के कारणवश चाहे तो वह अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दीहँ उन्हें दोबारा शुरुआत से प ढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि जहां उन्होंने ड्रॉप किया था उसके बाद से ही उन्हें पढ़ने को मौका मिलेगा। मिडिल स्तर कक्षा, 6 से 8 तक (3 वर्ष, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित) के स्तर पर विद्यार्थियों हेतु शिक्षा के साथ ही एक विषय निहाय व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है जिसमें 10 दिन की बस्ता रहित अवधि (Bag less Period) रहेगी। इस अवधि में विद्यार्थी स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों (Vocational Expertise) से काष्ठ कला, बागवानी, मिट्टी कला, स्थानीय कलाकारी इत्यादि कक्षाओं के माध्यम से स्कूल में सीख सकते हैं। इन 10 दिनों में बालक बिना बस्ते के स्कूल जा सकते हैं। बस्ता रहित अवधि के अंतरगत एम.जी.एम. क्लोवर डेल स्कूल के बच्चों को हवाई अड्डा, रिलायंस मॉल, साल्ट बेकरी, अजंता सीड्स का दौरा करवाया गया स तथा रिक्शा ड्रायवर, पानवाला इनका साक्षात्कार लेने के लिए कहाँ गया ताकी उनके जीवन शैली से बच्चे अवगत हो जाए स इसके आलावा बच्चों को यह बताया गया की कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता स इसके लिए छात्रों को प्राथमिक आदते लगने के लिए सेवा परियोजना के अंतर्गत कक्षा की साफ सफाई करने के लिए कहा गया।

सेकंडरी स्तर

कक्षा 9 से 12 (4 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम स्तर पर कक्षा 9 व 10 तक का है जिसमें बोर्ड परीक्षा को यथावत रखा गया है। इसमें विद्यार्थी का ध्यान समय दृष्टिकोण (Holistic view) तथा आलोचनात्मक सोच एवं लचीलेपन (Critical ThinkingAnd Flexibility) पर केंद्रित किया जाएगा।

सेकंडरी स्तर में एक मुख्य परिवर्तन के तौर पर कक्षा 9 से 12 तक बालकों द्वारा कोई भी विदेशी भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच आदि के अध्ययन को भी जोड़ा गया है। विद्यार्थी कक्षा 11 व 12 तक बहु भाषाओं में भी पारंगत हो सकेगा जिससे भविष्य में उसके रोजगार और उसके अवसरों में बढोत्तरी हो सकेगी।

भारत में उच्च शिक्षा में लिंग और सामाजिक समावेशन को प्रमोट करने के लिए कई उपाय और प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं का समावेश किया है.

1. **रिजर्वेशनः** भारत में शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलता है।
2. **छात्रवृतिः** विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठन छात्रों को छात्रवृति प्रदान करते हैं, जिससे वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
3. सामाजिक संगठन विभिन्न सामाजिक संगठन और यूनिवर्सिटी क्लब्स लिंग और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं और समाज में जागरुकता फैलाते हैं।
4. **विशेष कक्षाएँः** कुछ संगठन और संस्थान विशेष कक्षाएँ चलाते हैं जो लिंग और सामाजिक समावेशन 5. साक्षरता कार्यक्रमः सरकार और गैर–सरकारी संगठन साक्षरता कार्यक्रम चलाते हैं जो असहाय लोगों को प्रमोट करती हैं। को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करते हैं।

नंदिनी के द्वारा Hindustan Times के लेख में Policy 20 highlights: schoolAnd higher education to see major challenges में स्कूल और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है।इन कदमों के माध्यम से, भारत में उच्च शिक्षा में लिंग और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की स्थिति विचार के रूप में विभिन्न है, और यह कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। यहां कुछ मुख्य बिंदु हैं.

1. **प्राधिकृत शिक्षा केंद्रः** शिक्षा केंद्रों की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वभौमिक शिक्षा को पहुंचने में बड़ी चुनौती पैदा करती है।
2. **गुणवत्ता में असमानताः** शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता है, और यह कुछ राज्यों और क्षेत्रों में और भी अधिक अनगिनत हो सकती है।
3. **सामाजिक समावेशनः** लिंग, जाति, और आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा के पहुंचने में असमानता है, और इसे समाप्त करने के लिए कई योजनाएँ चल रही हैं।
4. कौशल विकास शिक्षा प्रणाली को कौशल विकास और रोजगार के लिए अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि छात्र उच्च शिक्षा के बाद भी रोजगार के योग्य बन सके।
5. **सामाजिक जागरूकताः** शिक्षा के महत्व को समझाने और लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक जागरुकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सकारात्मक पहल

भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और अनुप्राणनात्मक पहलों के माध्यम से सार्वभौमिक शिक्षा को प्रमोट करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें और भी कई कदम चुने जाने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक शिक्षा को समृद्धि करने के लिए सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सभी छात्रों को अधिकांश और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, चाहे वो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हों। स्नातक स्तर पर बहु विषयक (Multi&disciplinary) या बहुआयामी तरीके से पढ़ाई एक बेहतर विकल्प है परंतु इतने प्रयास के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण तथा जागरूकता फैलाने वाले आवश्यक विषय जैसे स्त्री–शिक्षा, लैंगिक–शिक्षा, सांस्कृतिक–शिक्षा, विषमता एवं बहिष्करण–शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विकास की शिक्षा, यह सभी हाशिए पर रह गई है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर अध्ययन करने की परम आवश्यकता है। भारतीय संविधान में शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, और नई शिक्षा नीति 2020 इन संवैधानिक अधिकारों का समर्थन करती है और उन्हें पुनर्निर्धारित करती है।

संविधान में शिक्षा के संवैधानिक अधिकारः–

1. **मौलिक अधिकारः** भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ और ४५ में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण और शिक्षा को पहुंचाने का प्रावधान है।
2. **शिक्षा का सार्वभौमिक और मुफ्त होनाः** अनुच्छेद ४५ में यह प्रावधान है कि ६ से १४ वर्षीय बच्चों को मुफ्त और सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

नई शिक्षा नीति २०२० शिक्षा के संवैधानिक अधिकारों के साथ मिलकर शिक्षा प्रणाली में सुधार करनेके लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है, ताकि भारत का शिक्षा प्रणाली उत्कृष्ट और सामाजिक समावेशन के साथ हो सके। वर्तमान समय में रोजगार के कई पहलु हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित हैः सेक्टरः विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हो सकते हैं, जैसे कि IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, निर्माण आदि।

1. **सेक्टरः** विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हो सकते हैं, जैसे कि IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, निर्माण, मनुफैक्चरिंग, और सेवाएँ।
2. **कौशलः** योग्यता और कौशल का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अच्छे कौशल और प्रशिक्षण के साथ, आपके पास अधिक अवसर होते हैं।
3. **नौकरी के स्रोतः** नौकरी के अवसर सरकारी सेक्टर, निजी कंपनियाँ, स्वयंरोजगार, फ्रीलांसिंग, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आ सकते हैं।
4. **अध्ययन और प्रशिक्षणः** नए कौशल सीखने और विकसित करने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण के अवसर मिलते हैं, जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।
5. **विशेषज्ञताः** किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने से भी आपके पास अधिक मौके हो सकते हैं।
6. **नौकरी के खोजः** नौकरी की खोज करते समय नौकरी के पोर्टल, साक्षात्कार, नेटवर्किंग, और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है।
7. **आत्म रोजगारः** कुछ लोग स्वयंरोजगार का रास्ता चुनते हैं, जैसे कि व्यापार, ऑनलाइन विपणन, या फ्रीलांसिंग।

शिक्षा शिक्षा और पढ़ाई के बाद भी आवश्यकतानुसार नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बदलते समय के साथ आवश्यकताएँ भी बदलती रहती हैं। प्राथमिक रुचियों, योग्यताओं, और लक्ष्यों के आधार पर अपने रोजगार के अवसर की खोज करें और आवश्यकतानुसार आगे बढ़ना ही नई शिक्षा

निति का उद्देश्य है।इसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवा चारों और उपयोगी बिंदुओं को प्रकाश में लाया गया। इसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी दिए गए स नवीन शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना और उच्चतम गुणवत्ता की दिशा में अग्रसर होना है।

नवीन शिक्षा नीति 2020 का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव और सुधार करके भारतीय शिक्षा प्रणाली को मौलिक रूप से बदलने और सुधारने में है। यह नीति शिक्षा के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रयास करती हैं जो छात्रों को उनकी व्यक्तिगतता, कौशल, और रुचियों के आधार पर विशेष शिक्षा प्रदान करने का मौका प्राप्त कराते हैं।

अंत में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे लिए एक नया अवसर तथा चुनौती दोनों ही लेकर आई है जिसे हम सभी को एकजुट होकर क्रियान्वित करके तथा चुनौतियों का निराकरण करने के लिए तत्पर होना होगा।

"शिक्षा है जीवन का आधार,
जो करती है सबके सपनो को साकार।
ऐसी है नई शिक्षा नीति, जिसने शिक्षा का रूप बदल डाला
ऐसी है नई शिक्षा नीति, देता है सबको शिक्षा का समान अधिकार
जो है विद्यार्थियों के भविष्य का आधार।"

संदर्भ सूचि

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति– जगदीश नारायण पुरोहित
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. Nandini, ed. 29 July 2020, New Education Policy-2020 Highlights:
4. SchoolAnd Higher Education to see Major Challenges". Hindustan Times.
5. Aithal PS, Aithal SJ.Analysis of The Indian National Education Policy 2020 towardsAchieving its objective, 2020.
6. International Journal of Management, TechnologyAnd Social Sciences, 5 (2), 19-41.